

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

विज्ञापन संख्या : (ए-2/ई-1/2009-10)

विज्ञापन की तिथि : 17-10-2009

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा-सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा-2009
आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि : 12-11-2009

विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.gov.ua.nic.in/ukpsc पर भी देखा जा सकता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज (जूनियर डिविजन) के पदों पर नियुक्ति की संस्तुति राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए जिला हरिद्वार के विभिन्न केन्द्रों पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की दशा में, आयोग मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए विज्ञापन के "परिशिष्ट-1" में उल्लिखित शहरों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकता है। रिट याचिका संख्या: 163 (एस0/बी0) ऑफ 2007 मलिक मजहर सुल्तान बनाम् लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य के मामले में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-03-2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारम्भिक लिखित प्रवेश (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के 'कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान' के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा केन्द्रों तथा परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को बाद में उनके प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केन्द्रों के आवंटन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा में ओ0एम0आर0 तथा परम्परागत आवेदन-पत्र व्यवस्था लागू है। अभ्यर्थी इस विज्ञापन के क्रम सं0-13(i) व 14 में उल्लिखित आवश्यक शुल्क इस विज्ञापन के क्रम संख्या-14 में उल्लिखित किसी विनिर्दिष्ट डाकघर में अदा कर ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित परीक्षाएं शामिल होंगी :-

- (1) विधिक तथा अन्य विषयों जिसमें अंग्रेजी तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान शामिल होगा, पर एक लिखित परीक्षा।
- (2) 'कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान' के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा।

- (3) अभ्यर्थी की योग्यता, चरित्र, व्यक्तित्व, शरीर-गठन एवं सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उसके गुणों के मूल्यांकन हेतु एक व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)।

नोट :- (1) विज्ञापन के “परिशिष्ट-2” में प्रारम्भिक लिखित प्रवेश (स्क्रीनिंग) परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा तथा ‘कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान’ की प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम उल्लिखित है।

(2) ‘कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान’ की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित तिथि, समय व स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को बाद में प्रवेश-पत्र या कार्यालय-ज्ञाप के माध्यम से दी जाएगी।

2. रिक्तियों का विवरण :

रिक्तियों की कुल संख्या	रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण			
	अनारक्षित	उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति	उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग
11	06	02	01	02

राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

3. पद का स्वरूप: राजपत्रित

4. वेतनमान एवं पेंशन: रू0 9000-250-10750-300-13150-350-14550 (संशोधन से पूर्व) – पेंशन योग्य।

5. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को :-

- (क) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक।
- (ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए।
- (ग) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए।

6. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :-

- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए, या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, (पूर्व बर्मा) श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) देशों से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए भी उप-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो। किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

7. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत या भारत अथवा किसी अन्य राज्य की विधिक परिषद् (बार कॉउन्सिल) द्वारा अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से प्रतिबन्धित या नैतिक अधमता के लिए भारतीय दण्ड संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन सिद्ध दोष या कारावास का दण्ड पाये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

8. वैवाहिक प्रास्थिति :- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

9. शारीरिक स्वस्थता :- किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे चिकित्सा परिषद् का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

10. आयु :- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 22 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जनवरी, 1974 से पूर्व तथा 01 जनवरी, 1987 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जाएगी जैसा कि विहित किया जाय।

11. अधिकतम आयु सीमा में छूट:

(क) उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश संख्या: 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005)

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग एवं उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005)

(ग) उत्तराखण्ड के आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/पूर्व सैनिकों से सम्बन्धित ऐसे कार्मिक अधिकारी जिन्होंने थल/जल/वायु सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो, को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट उन अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह के अवधि के भीतर कार्यमुक्त होने वाले हों। यह छूट ऐसे पूर्व सैनिकों को अनुमन्य नहीं होगी –

(1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,

(2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक आयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों,

(शासनादेश संख्या: 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985)

(घ) राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश- 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985)

(ड) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों के लिए उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी।

(शासनादेश संख्या: 1270/तीस-2 /2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 तथा शासनादेश संख्या: 776/XX(4)26/उ0आन्दो0/2006-08 (गृह अनुभाग-4), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008)

नोट :- अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणियाँ अवश्य अंकित की जानी चाहिए, अन्यथा आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

12. आरक्षण :-

(1) **ऊर्ध्व आरक्षण:-** उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(शासनादेश संख्या: 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या: 254/कार्मिक-2/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002)

(2) **क्षैतिज आरक्षण:-**

(क) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथा संशोधित) के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित होगा।

(ख) उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्या: 2461/XXX(2)/2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्या: 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(ग) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्या: 1144/कार्मिक-2-2001-53(1) /2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्या: 589/कार्मिक-2/2002, दिनांक 21 जुलाई, 2002 तथा शासनादेश संख्या: 1966/XXX (2)/2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों तथा 07 दिन से अधिक जेल जाने वाले या आन्दोलन के दौरान घायल उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के पात्र आश्रित को शासनादेश संख्या: 1270/तीस-2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004, शासनादेश संख्या: 4020/XX (4)-7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 तथा शासनादेश संख्या: 776/XX (4)/26/उ0आन्दो0/2006-08 (गृह अनुभाग-4), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 के प्राविधानों के अनुसार क्वैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। यह आरक्षण सुविधा केवल 10 अगस्त, 2011 तक के लिए उपलब्ध होगी।

- नोट :-**
- (1) शासनादेशों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
 - (2) शासनादेशों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 03%, उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% क्वैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
 - (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, विशिष्ट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान समझे जाएंगे।
 - (4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले उत्तराखण्ड के सभी अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी 'श्रेणी' का अवश्य उल्लेख करें, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
 - (5) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
 - (6) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त करें तथा उसे मुख्य लिखित परीक्षा के

परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के 'परिशिष्ट-4' में उल्लिखित हैं। यदि किसी शपथ-पत्र की भी आवश्यकता हो तो मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा विधिवत् प्रमाणित शपथ-पत्र भी आयोग को प्रस्तुत करें।

13. शुल्क:-

(1) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु: प्रत्येक अभ्यर्थी से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की कीमत सहित शुल्क लिया जाएगा, जिसका विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के लिफाफे पर मुद्रित है। अनारक्षित (सामान्य)/ उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी व अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित शुल्क रू0 160/- (परीक्षा शुल्क रू0 150 + डाक विभाग शुल्क रू0 10) तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क रू0 70/- (परीक्षा शुल्क रू0 60 + डाक विभाग शुल्क रू0 10) है। उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक श्रेणी/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विशिष्ट खिलाड़ी/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, यथा- अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

नोट :- प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ट्रेजरी चालान या बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से कोई शुल्क अदा नहीं किया जाना है।

(2) मुख्य लिखित परीक्षा हेतु :- प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु भी अतिरिक्त शुल्क अदा किया जाना होगा। अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों/ उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों व अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क रू0 250/- होगा (केवल मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दशा में मात्र रू0 100/-) तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क रू0 100/- होगा (केवल मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दशा में मात्र रू0 40/-)। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अभ्यर्थी मुख्यतः जिस वर्ग/श्रेणी के होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देना होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए यह शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा अपने परीक्षा केन्द्र पर मुख्य परीक्षा के प्रथम दिन "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार" को हरिद्वार में देय एकाउन्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा। अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के पीछे अपना नाम, अनुक्रमांक एवं पता अवश्य लिखें।

14. आवेदन-पत्र का स्वरूप एवं आवेदन कैसे करें:- आवेदन पत्र प्रारम्भिक लिखित प्रवेश (स्क्रीनिंग) एवं मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ इस विज्ञापन के 'परिशिष्ट-3' में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र सभी प्रकार से विधिवत् पूर्ण कर अवश्य भेजेंगे। निर्धारित प्रारूप में परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र हस्तलिखित/टंकित किए जा सकते हैं।

परीक्षा हेतु निर्देशों सहित ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र "पी0जी0" (P.G.) सीरीज (अनारक्षित अभ्यर्थियों, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों व अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू) के लिए रू0 160/- तथा "पी0आर0" (P.R.) सीरीज (उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए लागू) के लिए रू0 70/- निम्नलिखित स्थानों पर स्थित डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक नकद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विशिष्ट खिलाड़ी/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित अपने मुख्य वर्ग/श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों को भरने से पहले अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढ़ें।

डाकघरों की सूची:-

- (1) अल्मोड़ा- अल्मोड़ा-मुख्य डाकघर, रानीखेत-प्रधान डाकघर, भिकियासैण, द्वाराहाट, मासी।
- (2) बागेश्वर-बागेश्वर-मुख्य डाकघर, बैजनाथ, कपकोट, कांडा।
- (3) चमोली-गोपेश्वर-मुख्य डाकघर, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग।
- (4) चम्पावत-चम्पावत-मुख्य डाकघर, लोहाघाट, देवीधूरा, टनकपुर।
- (5) देहरादून-देहरादून-(जी.पी.ओ.), मसूरी, ऋषिकेश, विकासनगर, प्रेमनगर, राजपुर, डोईवाला, चकराता।
- (6) हरिद्वार-हरिद्वार-मुख्य डाकघर, रूड़की-मुख्य डाकघर, लक्सर, बी.एच.ई.एल।
- (7) नैनीताल-नैनीताल-मुख्य डाकघर, रामनगर, हल्द्वानी-मुख्य डाकघर, ओखलकांडा।
- (8) गढ़वाल-पौड़ी-मुख्य डाकघर, कोटद्वार-मुख्य डाकघर, लैन्सडाउन-मुख्य डाकघर, श्रीनगर, धूमाकोट।
- (9) पिथौरागढ़-पिथौरागढ़-मुख्य डाकघर, गंगोलीहाट, बेरीनाग, डीडीहाट, धारचूला, थल, मुन्सियारी।
- (10) रूद्रप्रयाग-रूद्रप्रयाग-मुख्य डाकघर, ऊखीमठ।
- (11) टिहरी गढ़वाल-न्यू टिहरी-मुख्य डाकघर, नरेन्द्र नगर, घनसाली।
- (12) ऊधम सिंह नगर-रूद्रपुर-मुख्य डाकघर, पन्तनगर, काशीपुर, खटीमा।
- (13) उत्तरकाशी-उत्तरकाशी-मुख्य डाकघर, बड़कोट, पुरोला।

15. ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र भरने हेतु कुछ अनुदेश :-

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं।
- (2) आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने हाथों से भरा जाना चाहिए। चूंकि ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संगणक (कम्प्यूटर) मशीनों द्वारा जाँच की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र के रख-रखाव और उसे भरने में पूर्ण सावधानी बरतें। उन्हें गोलों को काला करने के लिए केवल एच0बी0 पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें नीले या काले पेन/बॉल पेन का प्रयोग करना चाहिए।
- (3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में शब्दों में अपनी श्रेणी/श्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) अवश्य अंकित करें तथा सम्बन्धित गोलों को एच0बी0 पेंसिल से पूरी तरह अवश्य काला करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (4) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़ लें तथा उसके अनुसार ही ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को भरें।
- (5) अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरें। आवेदन-पत्र में नियत स्थान पर शब्दों व अंकों में लिखकर एच0बी0 पेंसिल से गोला अवश्य काला करें। यदि ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के कॉलम-12 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों तथा उनके पात्र आश्रितों से सम्बन्धित श्रेणी हेतु स्थान उपलब्ध न हो, तो इस श्रेणी के अभ्यर्थी "उ0म0" (उत्तराखण्ड महिला) श्रेणी के लिए दिए गए विवरण के नीचे अपनी आरक्षण श्रेणी का अवश्य उल्लेख करते हुए "उ0म0" (उत्तराखण्ड महिला) के गोला के ठीक नीचे गोला बनाकर उसे एच0बी0 पेंसिल से अवश्य काला करें।
- (6) ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र के कॉलम-4 में स्पष्ट रूप में आवेदित परीक्षा का नाम 'सी0जे0 (जे0डी0) -2009' अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा इस श्रेणी के गोले को काला करेंगे।

नोट :- (1) अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय से विधि विषय में डिग्री अवश्य धारित करना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति करवाकर अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

16. संलग्नक :

(1) अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से अपना नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ एवं परम्परागत आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र पर चस्पा किए गए फोटोग्राफ के अनुरूप, एक स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अवश्य चिपकाएं तथा फोटोग्राफ के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी अवश्य करें, अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ दिए गए विण्डो लिफाफे पर रू0 30/- का डाक टिकट अवश्य लगायें तथा यह लिफाफा एवं विधिवत स्वयं के पते सहित टिकट लगा एक पोस्ट कार्ड आवेदन पत्रों के साथ भेजें।

नोट:- ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र के विभिन्न कॉलम में अभ्यर्थियों द्वारा दर्शायी सूचनाओं/दावों के समर्थन में ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। केवल परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र के साथ ही अभ्यर्थी अपने दावों के समर्थन में सभी आवश्यक स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। यदि वे परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र के साथ अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

17. आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि :- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404" को दिनांक 12-11-2009 को अपराह्न 06.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से (हाथों-हाथ) अवश्य पहुँच जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अन्तिम तिथि व समय के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के विषय में कुछ सूचनाएं :-

(1) आयोग द्वारा प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने की दशा में, प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक लिखित परीक्षा एवं "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक

परीक्षा" में 40% या अधिक अंक प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(2) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य लिखित परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। आयोग द्वारा प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित न किए जाने की दशा में अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक बाद में आवंटित किए जाएंगे।

(3) परीक्षा हेतु तिथि तथा केन्द्र आयोग द्वारा बाद में निर्धारित किए जाएंगे।

(4) मुख्य लिखित परीक्षा में 60% या अधिक अंक या तत्सम्बन्धी ग्रेड (यदि कोई हो) तथा "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" में 40% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के योग्य होंगे। परन्तु मुख्य लिखित परीक्षा में 50% या अधिक अंक या तत्सम्बन्धी ग्रेड (यदि कोई हो) तथा "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" में 40% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी साक्षात्कार के योग्य होंगे।

(5) मुख्य लिखित परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर उनके प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(6) अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) से पूर्व उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र को भरना होगा।

(7) व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्र से सत्यापित किया जाएगा तथा इसी समय अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(8) केन्द्र या राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या उससे पूर्व अपने सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण पत्र" मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(9) ऐसी भर्ती जहाँ सेवा नियमावली में लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) का प्रावधान हो, मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

19. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :-

- (1) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (2) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
- (3) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (4) मूल आवेदन पत्र (ओ.एम.आर. एवं परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र) में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में व किसी भी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा।
- (5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (6) अभ्यर्थियों द्वारा अपने शैक्षिक योग्यता के दावे के समर्थन में स्वप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, डिग्री व आरक्षण आदि की छायाप्रतियाँ मुख्य परीक्षा के परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। यदि वे अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न नहीं करते हैं तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (7) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र या एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अपने नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है

तो उसके सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा उनका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जाएगा।

(8) अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(9) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(10) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(11) आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात् इसका मूल्य वापस नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा चाहे उसका उपयोग किया गया हो अथवा नहीं।

(12) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा; परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र में 20 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

(13) अभ्यर्थी परम्परागत प्रकार की परीक्षा में नान-प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बन्धित प्रश्न पत्र के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो। यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(14) गलत उत्तरों के लिए दण्ड:-वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जाएगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गये अंकों का एक चौथाई (0.25) दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(15) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रश्न व सम्बन्धित सही उत्तर विकल्प के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(16) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी भी प्रकार का प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा करते हुए पाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

(18) परीक्षा भवन में आचरण :- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि

दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जा चुका हो या दोषी घोषित किया जाएगा :-

(1) किसी भी प्रकार से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा (2) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा (3) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं, जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा (5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई है, अथवा (6) अपने चयन के लिए अभ्यर्थन हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा (7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा (8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, अथवा (9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार दुर्व्यहार किया हो, अथवा (10) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा (11) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यन्त्र लाना मना है, अथवा (12) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे -

(क) आयोग उस चयन से जिसका वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है-

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(2) राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से

(3) यदि वह सरकार/सरकारी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(20) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(21) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-1

प्रारम्भिक लिखित प्रवेश (स्क्रीनिंग) परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों का विवरण :-

क्रम संख्या	नगर (जिला)	केन्द्र कोड
1.	हल्द्वानी (नैनीताल)	01
2.	हरिद्वार (हरिद्वार)	02
3.	देहरादून (देहरादून)	03

परिशिष्ट-2

परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम:

(क) प्रारम्भिक लिखित प्रवेश (स्क्रीनिंग) परीक्षा हेतु:- प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र दो भागों में विभाजित किए जाएंगे। भाग-एक 50 अंक तथा भाग-दो 150 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निम्नवत् विषय होंगे-

भाग-1 :- सामान्य ज्ञान :- भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनायें सम्मिलित की जायेगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यही तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग-2 :- इसमें निम्नलिखित अधिनियम एवं विधियां सम्मिलित होगी :- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धान्त, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, सिविल (दीवानी) प्रक्रिया संहिता।

(ख) मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) हेतु:-

परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गये हैं :-

1.वर्तमान परिदृश्य	150	अंक
2.भाषा	100	अंक
3.विधि प्रश्न पत्र- I (मुख्य विधि)	200	अंक
4.विधि प्रश्न पत्र- II (प्रक्रिया और साक्ष्य)	200	अंक

5.विधि प्रश्न पत्र— III (राजस्व और दाण्डिक)	200	अंक
6.व्यक्तित्व परीक्षा	100	अंक

1. वर्तमान परिदृश्य :- यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतया विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।

2. भाषा :- अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालयों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें।

..... 30 अंक

उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी।

..... 30 अंक

साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन की भी परीक्षा होगी।

..... 40 अंक

3. विधि प्रश्न पत्र—I (मुख्य विधि) :- संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य विधि से सम्बन्धित विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित, जिसमें साम्य का सिद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्न पत्र सीमित होगा।

4. विधि प्रश्न पत्र— I I I (प्रक्रिया और साक्ष्य) :- इसमें साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतया व्यावहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना और मामलों को सामान्यतया व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।

5. विधि प्रश्न पत्र— I I I (राजस्व और दाण्डिक) :- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) तथा भारतीय दण्ड संहिता।

टिप्पणी :- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

(ग) व्यक्तित्व परीक्षा

100 अंक

व्यक्तित्व परीक्षा :- न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक

स्वास्थ्य के सन्दर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी :- (1) व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(2) आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हों अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं।

(ग) कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु: -

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office (अधिकतम अंक-100, न्यूनतम अर्हकारी अंक-40, निर्धारित समय- 01 घण्टा)

दिए गए पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिन्दु से एक प्रश्न लेते हुए प्रश्न पत्र बनाये जाएंगे-

(1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. प्रत्येक प्रश्न के 5 क्रियाएं शामिल होंगी, जिसे कम्प्यूटर पर संचालित करना होगा। प्रत्येक क्रियाओं हेतु 4 अंक निर्धारित हैं। आउटपुट का प्रिंट लेकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

परिशिष्ट-3
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार
उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा-सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2009

आवेदन-पत्र

- आवश्यक सूचना:-** (अ) अभ्यर्थी सभी स्तम्भ सही-सही भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ब) शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा अंक तालिकाओं की स्वतः प्रमाणित अथवा अभिप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने पर उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- (स) अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी/उप श्रेणी की पुष्टि हेतु आवेदन-पत्र के साथ नवीनतम् शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र की स्वतः प्रमाणित अथवा अभिप्रमाणित प्रति/प्रतियाँ अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

1. आवेदित पद का नाम:

2. अभ्यर्थी का नाम :

(1) हिन्दी में

(2) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

3. पिता/पति का नाम

4. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार)

अंकों में

शब्दों में

जन्म स्थान.....(राज्य.....)

5. डाक का पता

(1) पत्र व्यवहार का पता

.....

.....

(2) स्थायी पता

.....

.....

अभ्यर्थी अपना नवीनतम्
पासपोर्ट साइज
फोटोग्राफ स्वप्रमाणित
कर यहाँ चिपकाएं।

अभ्यर्थी अपना पठनीय हस्ताक्षर भी करें

6. अभ्यर्थी के पिता के अधिवास से सम्बन्धित स्थायी पता :-

.....
.....

7. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भरे गये ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र का नम्बर
(OMR Application Form Number)

8. शैक्षिक अर्हता :

(हाईस्कूल एवं आगे की परीक्षाओं की स्वतः प्रमाणित अथवा अभिप्रमाणित फोटो प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है)

क्र० सं०	शैक्षिक अर्हतायें	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	2	3	4	5	6	7
1	हाईस्कूल/हायर सेकण्ड्री					
2	इण्टरमीडिएट					
3	विधि स्नातक					
4	विधि स्नातकोत्तर					

9. अभ्यर्थी नीचे अपनी श्रेणी/उप श्रेणी को शब्दों में लिखें तथा बॉक्स में श्रेणी/उप श्रेणी सही (✓) अंकित भी करें।

सामान्य (अनारक्षित) उत्तराखण्ड अधिवासी अनु०जाति उत्तराखण्ड अधिवासी अनु०जनजाति उत्तराखण्ड अधिवासी अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखण्ड अधिवासी स्व०संग्रामसेनानी के आश्रित

उत्तराखण्ड अधिवासी पूर्व सैनिक उत्तराखण्ड अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ी उत्तराखण्ड अधिवासी महिला उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित

घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गई पात्रता की सभी शर्तें एवं इस आवेदन-पत्र में ऊपर उल्लिखित सूचनाएं सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं और मैं ये शर्तें पूरी करता/करती हूँ।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाये जाने या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाय

तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्त किये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाय।

3. मैं उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन-पत्र भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांकको विधिवत् अनापत्ति प्रमाण-पत्र पदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।
4. मैंने इस आवेदन-पत्र में किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ दाखिल कर दी हैं। इसमें कोई कमी पाये जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
5. अभ्यर्थी का स्पष्ट दिखायी देने वाला शारीरिक पहचान का चिन्ह

संलग्नकों की संख्या :-

1. अंकों में शब्दों में
2. विवरण :

दिनांक :
स्थान :

अभ्यर्थी के दिनांक सहित
हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर न होने पर आवेदन-पत्र
अस्वीकृत कर दिया जायेगा)

परिशिष्ट-4

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
नगर जिला उत्तराखण्ड की जाति के व्यक्ति है, जिसे
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति
उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला में
सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1
के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के
ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया
रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

विकलांगों के लिए प्रमाण-पत्र

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER

No.....

Dated

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. No. 7/4/1971 KARMIK-2 (U.P.)
DATED MAY 20,1978

We Examined Sri/Smt./Km. aged about year
..... on of/ Daughter of/Wife ofresident of
whose Signature/ L.T.I./R.T.I., is given below and certify that he/she is a case of
..... We certify that he/she is permanently physically
handicapped person.

Signature of Candidate

Orthopaedic
Surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)
Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसीलनगर जिलाउत्तर प्रदेश लोक सेवा
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)
अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)..... पुत्र/पुत्री/ पौत्र/अविवाहित
पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....
..... के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

फार्म-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नामराज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीआत्मज/पत्नी/आत्मज श्रीनिवासी.....(पूरा पता).....ने दिनांकसे दिनांकतक (स्थान का नाम) में आयोजितक्रीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :हस्ताक्षर
दिनांक :पद
.....संस्था का नाम
.....
.....मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीआत्मज/पत्नी/आत्मज श्री..... निवासी(पूरा पता)ने दिनांक.....से दिनांक तकमें (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान)आयोजित राष्ट्रीयमें (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :हस्ताक्षर
दिनांक :पद
.....संस्था का नाम
.....मुहर

नोट:- यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....विश्वविद्यालय की कक्षा(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्डराज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीआत्मज/पत्नी/आत्मजा श्रीनिवासी (पूरा पता).....मेंस्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट:- यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

(कुँवर सिंह)
सचिव

Advertisement No. (A-2/E-1/2009-10)

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
GURUKUL KANGRI, HARIDWAR

**UTTARAKHAND JUDICIAL SERVICE - CIVIL JUDGE
(JUNIOR DIVISION) EXAMINATION-2009**

Date of Advertisement : 17-10-2009

Last date for the receipt of OMR application Form : 12-11-2009

The detailed advertisement is also available on the website of Uttarakhand Public Service Commission : www.gov.ua.nic.in/ukpsc

The Uttarakhand Public Service Commission will hold a written examination at various centres in Haridwar District for recommending suitable candidates to the State Govt. for the appointment on the post of Civil Judge (Junior Division). In case of large number of applications for the post, the Commission may hold a Preliminary written entrance (Screening) Examination under intimation to the Hon'ble Uttarakhand High Court at various centres in the cities mentioned in '**Appendix-1**' of this advertisement. As per the direction issued by the Hon'ble Uttarakhand High Court on 28-03-2008 in writ petition No.- 163(S/B) of 2007 Malik Mazhar Sultan V/s Public Service Commission Uttarakhand and others, the Commission will also hold a practical examination to test the "Basic Knowledge of Computer Operation" of those candidates who are declared successful on the basis of preliminary written entrance examination. The centres for Preliminary and Main Examination and Dates of Examination, decided by the Commission, will be intimated to the candidates later by means of their Admission Cards. The Commission may, at their discretion, allot/change the examination centre and date of examination when circumstances so warrant. The candidates should note that no request of change of examination centre will be granted. In this examination O.M.R. and conventional Application Systems are applicable. The candidates may obtain O.M.R. application forms from any of the designated Post Offices, mentioned under Sl.No.-14 of this advertisement by paying the requisite fee to the post office as mentioned in Sl.No.-13 (i) and 14 of this advertisement. The main examination shall consist of:-

- (i) A written examination on such legal and allied subjects including the knowledge of Hindi in Devnagri Script and English.
- (ii) A practical examination to test the "Basic Knowledge of Computer Operation."

(iii) An interview (Viva-Voce examination) for assessing the merit of the candidates giving due regard to his ability character, personality, physique and general suitability for appointment to the service.

NOTE :- (1) The plan of examination and syllabus for the Preliminary Written Entrance (Screening) Examination, Main Written Examination and “Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination” are given in ‘**Appendix-2**’ of this advertisement.

(2) The dates, time and venue decided by the Commission for Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination will be intimated to the candidates later by means of admission cards or office memorandum.

2- Details of Vacancies:

Total Number of Vacancies	Categorywise detail of Vacancies			
	Unreserved	Schedule Castes of Uttarakhand	Schedule Tribes of Uttarakhand	Other Backward Classes of Uttarakhand
11	06	02	01	02

The number of vacancies may be increased or decreased by the State Government.

3- Nature of the post :- Gazetted

4- Scale of Pay and Pension:- Rs. 9000-250-10750-300-13150-350-14550, (Pre-Revised) – Pensionable

5- Essential Academic Qualification:-

A candidate for direct recruitment to the service be:

- A Bachelor of Law from a University established by law in Uttarakhand or by other University of India recognized for this purpose by the Governor.
- Must possess thorough knowledge of Hindi in Devnagri Script.
- Basic knowledge of computer operation.

6- Nationality: A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be:

- a citizen of India; or
- a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanzania and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Explanation:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

7- Character :-

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note:- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Explanation:- Persons dismissed from the service by the Union Govt. or a State Govt. or debarred from practice as an Advocate by the Bar Council of India or a bar council or convicted and sentenced for imprisonment for any offence under Indian Penal Code or any other law for the time being in force, involving moral turpitude shall not be eligible for appointment to the service.

8- Marital Status:-

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

9- Physical Fitness:-

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his official duty. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to submit medical certificate of fitness from a Medical Board.

10- Age:-

A candidate for direct recruitment to the service must have attained the age of twenty two years and must not have attained the age of more than thirty five years on the first day of January of the year in which recruitment is to be made, i.e. a candidate must not have been born earlier than January 02, 1974 and later than January 01, 1987.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be prescribed.

11- Relaxation in Upper Age Limit:-

(a) The upper age limit shall be greater by 05 years for candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes of Uttarakhand (G.O.No-1399/XXX(2)/2005, Dated 21 May, 2005).

(b) The upper age limit shall be greater by 05 years for candidates belonging to Dependents of Freedom Fighters of the Uttarakhand and physically handicapped of Uttarakhand (G.O.No-1244/XXX(2)/2005, Dated 21 May, 2005).

(c) The upper age limit shall be greater by 05 years for Emergency Commissioned Officers/Short Service Commission Officers/Ex-Service Personnel of Uttarakhand who have rendered at least 05 years service in the Army/Navy/ Air force. This age relaxation will also be applicable for such defense service personnel/officers who shall be discharged within 06 months from the last date of submission of the application form. This age relaxation will not be admissible to ex-defense service personnel/officer, if

(i) He has been dismissed due to misconduct or inefficiency.

(ii) He has been discharged due to physical disability or weakness as is considered for Defense Services (G.O.No-17/2/1981-Karmik-2, Dated 28 February, 1985).

- (d) The upper age limit shall be greater by 05 years for candidate belonging to Skilled Players of classified games of National and International level (G.O.No-22/21/1983-Karmik-2, Dated 28-11-1985).
- (e) The upper age limit shall be maximum 50 years for candidates belonging to Uttarakhand Rajya Andolankaries, who have spent less than 07 days in prison (G.O.No-1270/30-2/2004, Dated 11 August, 2004 and G.O.No-776/XX(4)26/UK. Ando./2006-08 (Griha Anubagh-4), Dated 22 October, 2008).

Note :- Candidates must indicate their categories in corresponding columns of the 'OMR' application form, otherwise no relaxation in age shall be allowed.

12- Reservation:-

(i) Vertical Reservation:-

The reservation for Scheduled Castes of Uttarakhand, Scheduled Tribes of Uttarakhand and Other Backward Classes of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the State Government in force at the time of the recruitment (G.O. No-1144/ Karmik-2-2001-53(1)/2001, Dated 18 July, 2001 and G.O.No-254/Karmik-2/2002, Dated 10 October, 2002).

(ii) Horizontal Reservation:-

- (a) The horizontal reservation for Physically Handicapped of Uttarakhand, Dependents of Freedom fighters of Uttarakhand and Ex-servicemen of Uttarakhand will be admissible according to the amended provisions of Uttarakhand [Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993 and Govt. Orders issued by the State Government from time to time. **The reservation for Physically Handicapped of Uttarakhand will only be applicable, if the concerned post was identified by the State Government within any category of the Physically Handicapped categories.**
- (b) The horizontal reservation for Skilled Players of Uttarakhand will be admissible according to the provisions of G.O.No-2461/XXX(2)/2006, Dated 06 October, 2006 and G.O.No-136/XXX(2)/2009, Dated 27 February, 2009.
- (c) The horizontal reservation for women of Uttarakhand will be admissible according to the provision of G.O.No-1144/Karmik-2-2001-53(1), Dated 18

July, 2001, G.O.No-589/Karmik-2/2002, Dated 21 July, 2002 and G.O. No-1966/XXX(2)/2006, Dated 24 July, 2006

- (d) The horizontal reservation for Uttarakhand Rajya Andolankari, who have spent less than 07 days in prison and for eligible dependent of Uttarakhand Rajya Andolankari who have spent more than 07 days in prison or injured in the movement will be admissible according to the provisions of G.O.No-1270/Thirty-2 /2004, Dated 11 August, 2004 G.O.No-4020/XX(4)-7/UK. Ando./2006, Dated 08 November, 2006 and G.O.No-776/XX(4)/26/ UK. Ando./2006-08 (Griha Anubagh-4), Dated 22 October, 2008. This reservation facility is available only up to 10 August, 2011.

- Note:-** (1) According to the latest provisions of relevant State Government Orders the vertical reservations will be 19% of the total cadre posts for Schedule Castes of Uttarakhand, 04% of the total cadre posts for Scheduled Tribes of Uttarakhand and 14% of the total cadre posts for Other Backward Classes of Uttarakhand.
- (2) According to the latest provisions of relevant State Government Orders the horizontal reservation will be 30% for Uttarakhand women, 05% for Uttarakhand Ex-servicemen, 02% for Dependents of Uttarakhand Freedom Fighters, 03% for Uttarakhand Physically Handicapped, 04% for Uttarakhand Skilled Players and 10% for Uttarakhand Rajya Andolankari/their eligible dependents.
- (3) The Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Dependent of Freedom Fighters, Ex-service personnel, Physically Handicapped, Skilled Players, Uttarakhand Rajya Andolankari and their eligible dependents and women candidates, who are not the domicile of Uttarakhand State, shall not be given the benefit of reservation. Such candidates shall be treated as the candidates of the Un-Reserved (General) Category.
- (4) All reserved candidates of Uttarakhand must mention their category in corresponding column of the O.M.R. application form, otherwise they shall not be given the benefit of reservation.

(5) The candidates claiming reservation in more than one category will be entitled to only one concession, whichever is more beneficial to them.

(6) The candidates claiming the benefit of reservation must obtain, in support of their category a certificate issued by the competent authority on the prescribed proforma and shall submit the same to the Commission with the Conventional type Application Form of Main written Examination. Some prescribed proformas are mentioned in 'Appendix-4' of this advertisement. If any affidavit is also required, the same be submitted duly certified by the Magistrate or Notary.

13- Fee:-

(i) For Preliminary Examination: - The fee shall be taken from every candidate with the cost of the O.M.R. application. The details are printed on the OMR envelopes. The fee for unreserved candidates/Other Backward Class candidates of Uttarakhand and all candidates of other States is Rs. 160/- (Rs. 150/- Examination Fee + Rs. 10/- Postal Charges) and the fee for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Physically Handicapped candidates of Uttarakhand is Rs 70/- (Rs. 60/- Examination Fee + Rs. 10/- Postal charges). The fee for Ex-servicemen/Dependent of Freedom Fighters/Skilled Players/Women/Uttarakhand Rajya Andolankari and their eligible dependents of Uttarakhand domicile will be charged as prescribed for their respective main categories viz Unreserved or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class category, as the case may be.

Note:- For preliminary (Screening) examination, no fee has to be paid by the candidate either through Treasury Challan or Bank Draft etc.

(ii) Fee for Main written Examination:- The successful candidates in preliminary (Screening) examination, for main written examination will be required to pay the additional fees for main examination also. The fee for unreserved candidates/other backward class candidates of Uttarakhand and all candidates of other states will be Rs. 250/- (In case of main written examination only: Rs. 100/- only) and for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates of Uttarakhand will be Rs. 100/- (In case of main written examination only: Rs. 40/- only). Candidates under horizontal reservation will pay their fees according to their main category. The fee for main written examination shall be paid by the candidates on the first day of the main examination at their

examination centre through account payee Demand Bank Draft/Postal Order payable to **“Secretary, Uttarakhand Public Service Commission” Gurukul Kangri, Haridwar** and payable at Haridwar. Candidate must write his/her name, roll number and address on the reverse of the bank draft/ postal order.

14- Nature of Application Form and How to Apply:-

Applications are being invited for the Preliminary written entrance (Screening) and Main written Examinations. Candidates must send also the conventional type Application Form, duly completed in all respects on the prescribed format as given in **‘Appendix-3’** of this advertisement along with the ‘OMR’ Application Form. The conventional type of Application Form in the prescribed performa can be typed/hand written.

OMR application form with instructions can be purchased for Rs. 160/- for “P.G.” series (Applicable for unreserved candidates and OBC candidates of Uttarakhand and all candidates of other States) and Rs. 70/- for “P.R.” series (Applicable for SC/ST/PH candidates of Uttarakhand) in cash through the post offices, located at the following places, till last date for receipt of application. Candidates under horizontal reservation for Dependents of Freedom Fighters/Ex-Service Personnel/Skilled Players/Women/Uttarakhand Rajya Andolankaris and their eligible dependents of Uttarakhand domicile shall purchase application form according to their main category. Candidates must read instructions given along with OMR application form in order to fill it up.

LIST OF POST OFFICES:-

- (1) **District Almora:** Almora (H .O.), Ranikhet (H.O.), Bhikiyasen, Dwarahat, Masi.
- (2) **District Bageshwar:-** Bageshwar (H.O.), Baijnath, Kapkot, Kanda.
- (3) **District Chamoli:-** Gopeshwar (H.O.), Joshimath, Chamoli, Karnprayag.
- (4) **District Champawat:-** Champawat (H.O.), Lohaghat, Devidhura, Tanakpur.
- (5) **District Dehradun:-** Dehradun (G.P.O.), Mussoorie, Rishikesh, Vikasnagar, Premnagar, Rajpur, Doiwala, Chakrata.
- (6) **District Haridwar:-** Haridwar (H.O.), Roorkee (H.O.), Laksar, B.H.E.L.
- (7) **District Nainital:-** Nainital (H.O.), Ramnagar, Haldwani (H.O.), Okhalkanda.
- (8) **District Garhwal:-** Pauri (H.O.), Kotdwar (H.O.), Lansdowne (H.O.), Srinagar, Dhoomakot.

- (9) **District Pithoragarh:-** Pithoragarh (H.O.), Gangolihat, Berinag, Didihat, Dharchula, Thal, Munsyari.
- (10) **District Rudraprayag:-** Rudraprayag (H.O.), Ukhimath.
- (11) **District Tehri Garhwal:-** New Tehri (H.O.), Narendranagar, Ghansali.
- (12) **District Udham Singh Nagar:-** Rudrapur (H.O.), Pantnagar, Kashipur, Khatima.
- (13) **District Uttarkashi:-** Uttarkashi (H.O.), Barkot, Purola.

15- SOME INSTRUCTIONS FOR FILLING THE ‘OMR’ APPLICATION FORM:-

(i) Candidates must go through the advertisement thoroughly and they should apply only after they are satisfied that they fulfill all the conditions of eligibility. (ii) The Application Form must be filled in by the candidates in their own handwriting. Since the OMR application form will be processed on computerized machines, candidates should exercise due care in handling and filling up the Application Form. They should use black H.B. pencil only to darken the circles. For writing in the boxes, they should use blue or black ink pen/ ball point pen. (iii) **Candidates desirous of getting the benefit of one or more reservation must mention their category (or categories) in the relevant column of OMR application form and blacken completely the circle by black H.B. pencil, otherwise they shall be deemed to be Unreserved (General) candidates and they shall not be given the benefit of reservation.** (iv) **Candidates should read instructions contained in instruction booklet available with the form set and accordingly fill the OMR form.** (v) Candidates must fulfill all the columns of OMR application form in words and figures as and where required and darken the circles by black H.B. pencil. If there is no space provided in column-12 of OMR application form for the category of Uttarakhand Rajya Andolankris and their eligible dependents, then the candidates who belong to the above category must mention the required details by drawing circle below the details provided for U.F. (Uttarakhand Female) category. (vi) Candidates must write the words “C.J. (J.D.)-2009” in column-4 of OMR application form and darken the circle provided for this category.

Note:-(1) Candidates must possess a degree in law from a University established by law in Uttarakhand or by other University of India recognized for this purpose

by the Governor up to the last date fixed for the receipt of the OMR application form, otherwise the application form of the candidate shall be rejected.

(2) Candidates must retain a photocopy of their OMR application form and in all communication to the Commission, they must mention the OMR application form number.

16- ENCLOSURES:-

(i) Candidates must paste one self attested passport size photograph on the OMR application form and one self attested passport size photograph, identical to the photograph pasted on the OMR application form, on the conventional application form at the space provided for the purpose and should sign in the space provided below the photograph otherwise their application shall be rejected.

(ii) Candidates must affix postal stamp of Rs. 30/- on window envelope provided with the OMR application form and the envelope and duly stamped self addressed Post Card have to send along with the application forms.

Note:- No certificate has to be enclosed with the OMR application form in support of the information/claims filled by the candidates in various columns of application form. The candidates must enclose all required self attested certificates etc. in support of their claims only with the conventional type application form. If they do not enclose the certificates etc. with the conventional type application form in support of their claims, their candidature shall be cancelled.

17- LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION:-

Application forms completed in all respects must reach the **“Secretary, Uttarakhand Public Service Commission, Gurukul Kangri, Haridwar-249404”** at the Commission office either by registered post/speed post or personally (by hand) up to 06-00 P.M. on or before **12-11-2009**. Application forms through any other means shall not be accepted. **Applications received in the Commission’s office after the closing date and time will not be considered.**

18- SOME INFORMATION ABOUT MAIN EXAMINATION AND VIVA-VOCE EXAMINATION (INTERVIEW):-

(i) In case the Commission will hold the preliminary written entrance examination, only such candidates will be admitted to the main written examination who are declared successful in the preliminary written entrance examination. Marks obtained in preliminary written

entrance examination and in “Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination” shall not be added with the marks obtained in main written examination and Viva-Voce examination (Interview). Answer sheets of those candidates who could not get 40% or more marks in “Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination” shall not be evaluated. (ii) Candidates should carefully note that they will appear for the main examination against the same Roll Number as allotted for the preliminary written entrance examination. In case the Commission will not hold the preliminary written entrance examination, the Roll Number will be allotted to the candidates later. (iii) The examination centre and dates for the examination shall be fixed by the Commission later. (iv) All candidates who obtained 60% or more marks or corresponding grade, if any, in the main written examination and 40% or more marks in ‘Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination’ shall be eligible for Viva-Voce examination. Provided that Schedule Castes and Schedule Tribes Candidates who obtained 50% or more marks or the corresponding grade, if any, in the main written examination and 40% or more marks in ‘Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination’ shall be eligible for Viva-Voce examination. (v) Candidates declared eligible for main written examination will be communicated by means of their Admit Card in due course. (vi) Candidates will have to fill up the prescribed form to be supplied at the time of Viva-Voce Examination (Interview) or before the Viva-Voce Examination (Interview). (vii) All certificates shall be verified with original certificates at the time of Viva-Voce Examination (Interview). Candidates will also be required to furnish 02 passport size photographs, attested by their Head of the Department or Head of the Institution where they received last education or by a Gazetted Officer at the time of Viva-Voce Examination (Interview). (viii) Candidates serving under the Central or State Government/Undertaking will have to produce “No Objection Certificate” in original from their employer before or at the time of Viva-Voce examination (Interview). (ix) It is essential for the candidates to appear in Viva-Voce Examination (Interview) who qualify on the basis of main examination under the provisions laid down in Service Rules for service of recruitment through written examination and Viva-Voce Examination (Interview).

19- IMPORTANT INSTRUCTION FOR CANDIDATES:

- (i) **The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the**

prescribed eligibility conditions. Mere issue of admission cards to the candidates will not imply that his/her candidature has been finally cleared by the Commission. If it is found at any stage that applicant was not eligible or that his/her application should have been rejected or should out have been accepted at the initial stage itself, his/her candidature will be rejected and if the candidate is selected, the recommendation of the Commission shall be withdrawn.

- (ii) The candidates must fill all columns of the application clearly and must not leave any column of the application unfilled. On being illegible, ambiguous and misleading, the application form shall be rejected.
- (iii) The applications shall be rejected if it's not submitted on prescribed format.
- (iv) No change in the entry made in original Application Form (OMR and conventional type application form) will be allowed under any stage and circumstances.
- (v) Candidates should ensure that the signatures appended by them in all the places viz. in their Application Forms, Attendance List etc. and in all the correspondence with the Commission should be identical and there should be no variation of any kind. If any variation is found in the signatures appended by him/her at different places, his/her candidature will be liable to be cancelled by the Commission.
- (vi) The candidates will have to enclose self attested copies of Marks sheets, Certificates and Degrees etc. with conventional type Application form. If they do not enclose certificates/documents in support of their claims, the applications shall be rejected.
- (vii) In condition of being more than one application form in one envelope, or being application forms of more than one advertisement in one envelope, all application forms shall be deemed to be rejected. If any candidate submits more than one application forms in his/her name for this examination, all of his/her application forms shall be rejected and his/her candidature shall be cancelled.
- (viii) Application received after the last date will not be entertained in any case. Incomplete, erroneous applications and applications not signed by the candidates, even if received within time, will summarily be rejected.
- (ix) The date of birth of the candidates shall be admissible as entered in High School Certificate. The candidates will have to attach his/her High School or equivalent examination certificate with the application form of main examination. No other

certificates shall be acceptable for Date of Birth and if it is not attached with the application it shall be rejected.

- (x) The candidature of such candidates who are subsequently found ineligible according to the terms laid down in the advertisement will be cancelled and their claim for appearing in the examinations will not be entertained. The decision of the Commission with regard to eligibility or otherwise of the candidate shall be final.
- (xi) The cost of OMR application form shall not be refunded whether the application is used or not.
- (xii) Candidates must write the answers in their own hand. Under no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, blind candidates will be allowed to write the answers with the help of a scribe. The educational qualification of a scribe should not be more than intermediate. An extra time of twenty minutes shall be permitted for blind candidates.
- (xiii) The candidates will be allowed the use of non-programmable type calculators at the conventional type examination, if it is permissible as per instructions given in the particular question paper. It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type question papers.
- (xiv) **PENALTY FOR WRONG ANSWER:** There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in the objective type Question Papers.
 - (a) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
 - (b) If a candidate gives more than one answer for a question, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.
 - (c) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.
- (xv) After the completion of the examination, the answer keys of all objective type question papers shall be available on the website of the Commission and the candidates may represent their objections about the questions and their correct answer option within 15 day's of the publication of the answer keys. Representations received in the Commission's office after the closing date will not be considered.

- (xvi) Mobile phones, pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from future examinations. Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned items including mobile phones/pagers in the premises of the examination centre, as arrangements for safe custody cannot be assured.
- (xvii) **UNFAIR MEANS STRICTLY PROHIBITED:** No candidates shall copy from the papers of any other candidate nor permit his/her papers to be copied nor give nor attempt to give nor obtain nor attempt to obtain irregular assistance of any nature. Any such activities will be severely penalised.
- (xviii) **CONDUCT IN EXAMINATION HALL:** No candidates shall misbehave in any manner or create disorderly scene in the Examination Hall or harass the staff employed by the Commission for the conduct of the examination. Any such misconduct will be severely penalised.
- (xix) **ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT:**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

(A) obtaining support of his/her candidature by any means, or (B) writing examination with changed name, or (C) Impersonation, or (D) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or (E) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or (F) resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or (G) using unfair means during the test, or (H) writing irrelevant matter including use of obscene or indecent language, or (I) misbehaving in any other manner in the examination hall, or (J) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their test, or (K) bringing mobile

phone/communication device in the examination hall/interview room.
(L) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable:

- (a) to be disqualified by the Commission from selection for which he/she is a candidate, and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period :-
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them.
 - (ii) by the State Government from any employment under them, and
 - (iii) if he/she is already in service under Government/ Govt. undertaking, initiation of disciplinary action under the appropriate rules.
- (xx) In all communication to the Commission, the candidate must mention the name of the examination, advertisement number, date of birth of candidate, father's or husband's name, OMR form number and also the Roll Number, if communicated.
- (xxi) Any change in the address of the candidate must promptly be communicated to the Commission by Registered Post.

Appendix-1

Details of examination centres for Preliminary written entrance (Screening) Examination. :

Sl. No.	City (District)	Centre Code
1-	Haldwani (Nainital)	01
2-	Haridwar (Haridwar)	02
3-	Dehradun (Dehradun)	03

Appendix-2

Examination Plan and Syllabus for the Examination.

(A) For Preliminary written Entrance (Screening) Examination:

The preliminary written entrance examination paper will be divided into two parts.

Part-I will contain 50 marks and Part-II will contain 150 marks. There will be objective type test on the following subjects:-

Part-I :- General Knowledge. It will include day to day happenings around India and the World, particularly in the legal spheres. The questions may relate mainly to international law, neutrality, recent legislation pronouncement particularly Indian

Constitution, law and development and legal aspects but it will not be confined to this only.

Part-II :-It will cover the following Acts and Laws – Transfer of Properties Act, Principle of Hindu Laws and Principle of Muslim Laws, Evidence Act, Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Civil Procedure Code.

(B) For Main written Examination and Viva-voce Examination (Interview):

The examination will include the following subjects; each subject will carry the number of mark shown against it:

	Subject	Mark
1-	The Present Day	150
2-	Language	100
3-	Law: Paper I - Substantive Law	200
4-	Law: Paper II - Evidence & Procedure	200
5-	Law: Paper III - Revenue & Criminal	200
6-	Viva-Voce	100

(1) **The Present Day** - This paper is designed to test the candidate’s knowledge of the reactions to what is happening in India and the world generally at the present day, particularly in the legal sphere and also his power of expression in English. Questions, the answers to which should be in essay form will relate mainly to jurisprudence, international law, neutrality, recent legislation, particularly- Indian constitutional law and developments, especially on their legal aspect and so on but will not be confined to them. Credit will be given both for substance and expression; conversely deduction will be made for bad expression, including faults of grammar, misuse of words etc.

(2) **Language** - A passage in English will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken in the courts, using the Devnagri Script ----- Marks 30
Likewise a passage of Hindi will be required to be translated in ordinary English language. ----- Marks 30
There will be English Précis writing also. ----- Marks 40

(3) **Law: Paper I-Substantive Law -** The questions set will be restricted to the field covered by-

The law of contracts; the law of partnership; the law concerning easements and torts; the law relating to transfer of property; including the principles of equity specially applicable thereto; the principles of equity, with special reference to the Law of Trust and specific relief. Hindu Law and Mohammedan Law.

(4) **Law: Paper II - Evidence and Procedure -** The field will be that covered by the Law of Evidence, The Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The questions set will relate mainly to practical matters; such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witness, the writing of judgment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

(5) **Law: Paper III- Revenue & Criminal -** U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act (as applicable in Uttarakhand) and Indian Penal Code.

(6) **Viva-Voce-** The suitability of the candidate for employment in the Judicial Service will be tested with reference to his record at School, College and University and his personality, address and physique. The questions which may be put to him may be of a general nature and will not necessarily be of an academic or legal nature.

NOTE: - (i) The marks obtained in viva-voce will be added to the marks obtained in the written papers and the candidates place will depend on the aggregate of both.

(ii) The Commission reserve the right to refuse to call for viva-voce and candidate who has not obtained such marks in the Law Papers as to justify such refusal.

(C) **For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination:**

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office (Maximum Marks – 100; Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40; Time allowed: One Hour)

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. Each question shall have five actions to be performed on the system each having four marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

Appendix-3

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा-सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2009

आवेदन-पत्र

- आवश्यक सूचना:- (अ) अभ्यर्थी सभी स्तम्भ सही-सही भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ब) शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा अंक तालिकाओं की स्वतः प्रमाणित अथवा अभिप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने पर उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- (स) अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी/उप श्रेणी की पुष्टि हेतु आवेदन-पत्र के साथ नवीनतम् शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र की स्वतः प्रमाणित अथवा अभिप्रमाणित प्रति/प्रतियाँ अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

1. आवेदित पद का नाम:
2. अभ्यर्थी का नाम :
 - (1) हिन्दी में
 - (2) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में
3. पिता/पति का नाम
4. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार)
तथा जन्म स्थान व राज्य का नाम
अंकों में
शब्दों में
जन्म स्थान (राज्य

अभ्यर्थी अपना नवीनतम्
पासपोर्ट साइज
फोटोग्राफ स्वप्रमाणित
कर यहाँ चिपकाएं।

अभ्यर्थी अपना पठनीय हस्ताक्षर भी करें

5. डाक का पता
 - (1) पत्र व्यवहार का पता
 -
 -
 - (2) स्थायी पता
 -
 -

6. अभ्यर्थी के पिता के अधिवास से सम्बन्धित स्थायी पता :-

.....
.....

7. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भरे गये ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र का नम्बर
(OMR Application Form Number)

8. शैक्षिक अर्हता :

(हाईस्कूल एवं आगे की परीक्षाओं की स्वतः प्रमाणित अथवा अभिप्रमाणित फोटो प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है)

क्र० सं०	शैक्षिक अर्हतायें	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	2	3	4	5	6	7
1	हाईस्कूल/हायर सेकण्ड्री					
2	इण्टरमीडिएट					
3	विधि स्नातक					
4	विधि स्नातकोत्तर					

9. अभ्यर्थी नीचे अपनी श्रेणी/उप श्रेणी को शब्दों में लिखें तथा बॉक्स में श्रेणी/उप श्रेणी सही (✓) अंकित भी करें।

सामान्य (अनारक्षित) उत्तराखण्ड अधिवासी अनु०जाति उत्तराखण्ड अधिवासी अनु०जनजाति उत्तराखण्ड अधिवासी अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखण्ड अधिवासी स्व०संग्रामसेनानी के आश्रित

उत्तराखण्ड अधिवासी पूर्व सैनिक उत्तराखण्ड अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ी उत्तराखण्ड अधिवासी महिला उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित

घोषणा

1. मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गई पात्रता की सभी शर्तें एवं इस आवेदन-पत्र में ऊपर उल्लिखित सूचनाएं सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं और मैं ये शर्तें पूरी करता/करती हूँ।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाये जाने या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्त किये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाय।
3. मैं उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन-पत्र भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांकको विधिवत् अनापत्ति प्रमाण-पत्र पदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।
4. मैंने इस आवेदन-पत्र में किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ दाखिल कर दी हैं। इसमें कोई कमी पाये जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
5. अभ्यर्थी का स्पष्ट दिखायी देने वाला शारीरिक पहचान का चिन्ह

संलग्नकों की संख्या :-

1. अंकों में शब्दों में
2. विवरण :

दिनांक :
स्थान :

अभ्यर्थी के दिनांक सहित
हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर न होने पर आवेदन-पत्र
अस्वीकृत कर दिया जायेगा)

Appendix-4

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
..... नगर जिला उत्तराखण्ड की जाति के
व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)
संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी
है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित
नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिला में सामान्यतया
रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

विकलांगों के लिए प्रमाण-पत्र

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER

No.....

Dated

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. No. 7/4/1971 KARMIK-2 (U.P.)
DATED MAY 20,1978

We Examined Sri/Smt./Km. aged about
..... year on of/ Daughter of/Wife ofresident
of whose Signature/ L.T.I./R.T.I., is given below and certify that he/she
is a case of We certify that he/she is permanently
physically handicapped person.

Signature of Candidate

Orthopaedic
Surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)
Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसीलनगर जिलाउत्तर प्रदेश
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए
आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है
और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/
पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त
श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

फार्म-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम
राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री निवासी.....(पूरा पता).....
.....ने दिनांकसे दिनांकतक (स्थान का नाम) में आयोजित
.....क्रीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग
लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान
प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया
जाये).....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पद
संस्था का नाम
.....
मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये
गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के
लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)
राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री..... निवासी
(पूरा पता) ने दिनांक.....से दिनांक
तकमें (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता
(टूर्नामेन्ट का स्थान)आयोजित राष्ट्रीय
में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त
किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में
उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट:- यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने
पर ही मान्य होगा।

फार्म-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....
विश्वविद्यालय की कक्षा(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय
(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्डराज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्रीनिवासी (पूरा पता).....
मेंस्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम) में
आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम)
प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट:- यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

(Kunwar Singh)
Secretary